

कार्यालय आदेश

हरियाणा सिविल सर्विस (सामान्य), नियम, 2016 के बिन्दु न0 89 में किये गये प्रावधान अनुसार निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी का दिनांक 31.03.2019 तक के लिए अस्थायी तौर पर मुख्यालय निम्न प्रकार से निश्चित किया जाता है। अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उनके मूल कार्यालय से ही झा किया जाएगा।

क्र0 स0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व वर्तमान पदस्था	अस्थाई मुख्यालय
1.	श्री प्रदीप कुमार, अधीक्षक, मुख्यालय।	कार्यालय अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, सर्कल-2, गुरुग्राम।
2.	श्रीमति वीना रानी, उप अधीक्षक कार्यालय अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, सर्कल-2, गुरुग्राम।	कार्यालय अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, सर्कल-1, फरीदाबाद।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागु होंगे।

दिनांक: 27.02.2019

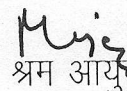
विजय सिंह दहिया
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था0/01/2019/ 7096-101

दिनांक: 27/02/19

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. निजी सचिव/श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, सर्कल-2 गुरुग्राम।
3. कार्यालय अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, सर्कल-1, फरीदाबाद।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निजी सचिव।
6. कार्यालय आदेश फाईल।


 अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
 श्रम विभाग, हरियाणा।